शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) योजना

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारत के वैश्विक व्यापार में निरंतर वृद्धि और व्यापार विस्तार को आर्थिक विकास हेतु साधन के रूप उपयोग करके, भारत सरकार द्वारा कई राजकोषीय प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) को एक प्रोत्साहन योजना के रूप में दिनांक 17 अप्रैल 1997 के परिपत्र संख्या 10/1997 द्वारा अधिसूचित किया गया था। डीईपीबी योजना ने मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग (वीएबीएएल) योजना तथा पूर्व की एक्जिम पालिसी की पासबुक योजना की जगह ली। डीईपीबी योजना में शुरू में दो उप योजनायें थी, अर्थात् 'निर्यात-पूर्व डीईपीबी' और पश्च् 'निर्यात डीईपीबी'। निर्यात-पूर्व डीईपीबी योजना 1 अप्रैल 2000 से बंद कर दी गई। वर्षों से कई विस्तारों के बाद पश्च् निर्यात योजना को दिनांक 17 जून 2011 की सार्वजनिक सूचना संख्या 54/2010 द्वारा 30 सितम्बर 2011 को बन्द कर दिया गया और तत्पश्चात् आठ वर्ष छः महीनों के छुटपुट विस्तार के बाद इस लोकप्रिय निर्यात प्रोत्साहन योजना पर पटी डालते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीईसी के दिनांक 22 सितम्बर 2011 के परिपत्र संख्या 42/2011-सीमाशुल्क द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से शुल्क फिरती अनुसूची में शामिल कर लिया गया था।

योजना के निष्पादन की लेखापरीक्षा वर्ष 2000 में सी एवं एजी द्वारा इस बात की जांच करने के उद्देश्य से की गई कि क्या (क) योजना के तहत अनुमत शुल्क क्रेडिट के लाभ निर्यातकों द्वारा वहन किए गए सीमाशुल्कों की वास्तविक घटनाओं के अनुरूप थे, (ख) योजना का कार्यान्वयन संबंधित अधिसूचना, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया था, (ग) मानिटरिंग और अंतर विभागीय समन्वय तंत्र प्रभावोत्पादक था और (घ) डीईपीबी योजना ने पूर्व की वबल योजना की खामियों को दूर कर दिया है।

लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ इस पर टिप्पणी की (i) अनुमत शुल्क क्रेडिट जो शुल्क की वास्तविक घटना से संबंधित नहीं थे (ii) पासबुक

में एसएडी के नामे नहीं डालना (iii) एसएडी से अनुचित छूट (iv) मूल्य बढ़ोत्तरी के देर से निर्धारण/गैर संशोधन के कारण डीईपीबी क्रेडिट का अनपेक्षित लाभ (v) नकारात्मक मूल्यवर्धन को रोकने के प्रावधानों का अभाव (vi) डीईपीबी क्रेडिट दरों का गलत निर्धारण (vii) क्रेडिट दरों का गैर संशोधन/संशोधन में देरी (viii) क्रेडिट दरों के प्रति नकारात्मक सूची इनपुट्स के आयात पर शुल्क का गलत तरीके से हटाना (ix) डीईपीबी में निर्धारित सीमा से अधिक आयात (x) किए गए निर्यात आर्डर की तिथि पर दरों का प्रयोग न करना (xi) डीईपीबी क्रेडिट की अधिक/गलत मंजूरी (xii) माल का अधिक मूल्यांकन (xiii) विदेशी मुद्रा की गैर वसूली इत्यादि।

2004-05 में योजना के पहुलओं की एक बार फिर से इस बात पर जोर देते हुए लेखापरीक्षा की गई कि (क) शुल्क क्रेडिट, शुल्क की वास्तविक घटना से संबंधित नहीं था (ख) डीईपीबी का अनपेक्षित लाभ हुआ (ग) कुछ निर्यात मुनाफे की वसूली नहीं की गई (घ) कुछ डीईपीबी दरों का गलत निर्धारण किया गया (ड.) डीईपीबी अनुसूची में शामिल नहीं किए मदों को भी क्रेडिट की मंजूरी (च) गलत डीईपीबी की मंजूरी (छ) डीईपीबी निकासी प्रतिबंधों को लागू नहीं किया गया। इसके अलावा, डीईपीबी योजना के विभिन्न पहलुओं पर बारह लेखापरीक्षा आपत्तियों को 2005-06 से 2011-12 तक सीमाशुल्क पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया है।

वाणिज्य विभाग (डीओसी) का जनादेश उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक नीति निर्माण तथा इसके विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का विकास और प्रोन्नति, का है। विभाग की मुख्य भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के त्वरित विकास हेतु पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं को सक्षम बनाने में मदद करना है। विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) बनाता है, लागू करता है और निगरानी रखता है जो निर्यात और वृद्धि को बढ़ाने के लिए अपनायी जानी वाली नीति और रणनीति को बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। वाणिज्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में XII$^{वीं}$ योजना अवधि के लिए वाणिज्य विभाग की ''भारत के निर्माण निर्यात को बढ़ाने'' पर कार्य करने वाले ग्रुप की रिपोर्ट निर्यात और विकास को बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू

विनिर्माण चुनौतियों, दोनों के विकास और योग्यता में एक रोचक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

पीएमईएस[1] के तहत वाणिज्य विभाग का एक 'उत्तरदायी केंद्र' महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी), नई दिल्ली की अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है और यह वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। डीजीएफटी को एफटीपी का कार्यान्वयन तथा भारत के निर्यात का विकास करने की जिम्मेदारी के साथ एक 'सुविधा प्रदाता' की भूमिका दी गई है। डीजीएफटी निर्यातकों को लाइसेंस भी जारी करता है तथा 41 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेत्रीय प्राधिकरण) के नेटवर्क के माध्यम से उनके इन दायित्वों की निगरानी करता है।

वाणिज्य विभाग के परिणामी ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) के उद्देश्यों में निर्यात में वृद्धि तथा निर्यात में त्वरित वृद्धि के लिए व्यापार के माहौल में सुधार करने के लिए व्यापार में सहयोग देने वाली सुविधाओं का कार्यान्वयन निहित था। वाणिज्य विभाग ने एफटीपी 2009-14 के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के परिणाम की समीक्षा करने को प्राथमिकता नहीं दी। वाणिज्य विभाग के परिणामी बजट के अनुसार, विभाग ने मंजूर आर्थिक सहायता हेतु बजट रूपरेखा के प्रति निर्यात आर्थिक सहायत हेतु बजट अनुमान में कोई प्रदेय मात्रा निर्धारित नहीं की थी। यह जानने के लिए कोई क्या वबल से डीईपीबी करते समय योजना के कार्यान्वयन से पूर्व योजना के राजस्व प्रभावों का मूल्यांकन किया गया था, से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

इसी प्रकार, वाणिज्य विभाग की नीतिगत योजना के पैराग्राफ 3.1 (XIII) के अनुसार डीजीएफटी, एफटीपी के तहत विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है तथा व्यापारिक समुदाय की मुख्य कड़ी है। तदनुसार, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की जानी थी और योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे फिर से बनाया जाना था, लेकिन वाणिज्य विभाग द्वारा डीईपीबी की समीक्षा नहीं की गई है,

[1] कैबिनेट सचिवालय की निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली

इसलिए, वाणिज्य विभाग द्वारा बताई गई इस योजना की अधिकांश उपलब्धियां निराधार हैं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा भारत की आगामी व्यापार नीति समीक्षा के दौरान योजना कठोर सवालों के घेरे में थी। डीईपीबी क्रेडिट का परिकलन इसके द्वारा दी गई सब्सिडी के कारण प्रतिकारी शुल्क के रूप में माना गया है और 1999-2002 के बीच यूएस, कनाडा और ईयू द्वारा इसके विरूद्ध अभियोग चलाया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने डीईपीबी की जगह नई योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ (एनसीएईआर, आईसीआरआईईआर, एनआईपीएफपी इत्यादि) नियुक्त किए, इसके अतिरिक्त 2002 से ही योजना को समाप्त कर दिया गया था जिसे अंतिम रूप से सितम्बर 2011 में मूर्त रूप दिया गया। इस दौरान निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के आधार पर आगामी प्रसार की मंजूरी दी गई थी।

हालांकि, वाणिज्य विभाग द्वारा डीईपीबी की जगह एक नई योजना शुरू की जा रही थी, डीईपीबी मदों को अंतिम रूप से 1 अक्टूबर 2011 से शुल्क फिरती अनुसूची में शामिल किया गया था। डब्ल्यूटीओ में दोहा दौर की बातचीत की धीमी प्रगति में व्यापक आपसी मुक्त व्यापार करार (एफटीएज़) और क्षेत्रीय व्यापार करार (आरटीएज़-सार्क, आशियान) निहित थे। इस पृष्ठभूमि में सीईसीए[2] सिंगापुर से बातचीत की गई थी। इस करार हेतु संगणित व्यक्त प्रतिस्पर्धी लाभ और व्यापारिक लाभ भारत के मौजूदा एफटीपी के कारण भारतीय निर्यातकों के व्यापारिक लाभ निहित थे जिसमें डीईपीबी शामिल किया गया था।

इस प्रकार निर्यात के प्रोत्साहनों (सीईसीए) से संबंधित वैकल्पिक व्यापार करार (पीटीए), योजना (डीईपीबी) और गैर योजना के दोनों अंतर्निहित अवयवों को ध्यान में रखते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा किया जाना अनिवार्य था जिससे निर्यात को बढ़ाने, विनिर्माण निर्यातों को मजबूत करने और वैश्विक प्रति-सब्सिडी प्रतिकारी शुल्कों से बचने में, भविष्य में वाणिज्य

[2] व्यापक आर्थिक सहयोग करार

विभाग द्वारा पारितोषिक और प्रोत्साहन योजनाएं बनाने में सहायक हो सकता था।

1.2 योजना के उद्देश्य

डीईपीबी योजना का उद्देश्य निर्यात उत्पाद के आयातित भाग पर सीमाशुल्क की घटनाओं को निष्प्रभावी करना था। निष्प्रभावीकरण निर्यात उत्पाद के प्रति शुल्क क्रेडिट की मंजूरी प्रदान करके किया जाना था। योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की गणना मानक आदान-प्रदान मानकों (एसआईओएनज़) केअनुसार उक्त निर्यात उत्पाद के डीम्ड आयात वस्तु को ध्यान में रखकर किया गया था। योजना प्रक्रिया {(एचबीपी) भाग 1 की हैंडबुक का पैरा 4.37} के तहत शुल्क क्रेडिट की दर तय करते समय ऐसे उत्पाद के निर्यात द्वारा प्राप्त किए गए मूल्य संवर्धन को भी ध्यान में रखा गया था। प्रोत्साहन के दुरूपयोग को रोकने के लिए उच्च डीईपीबी दरों वाले निर्यात उत्पादों पर अधिक मूल्य आरोपित किया गया था।

इस प्रकार भारत में किसी आयातयोग्य वस्तु/प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के प्रति, मूल और प्रतिकारी (सीबीडी) दोनों शुल्क, सीमाशुल्क के समायोजन हेतु निर्यातकों द्वारा लिए गए डीईपीबी शुल्क क्रेडिट का उपयोग किया गया था। निर्यातक किसी उत्पाद का आयात करने के लिए क्रेडिट का उपयोग कर सकते थे न कि निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त सामान का। डीईपीबी और/या इसके प्रति आयातित वस्तु मुक्त रूप से स्थानांतरणीय थी। ईपीसीजी योजना के तहत आयात के प्रति शुल्क के भुगतान हेतु डीईपीबी स्क्रिप्स का भी उपयोग किया जा सकता था।

1.3 शुल्क क्रेडिट की मंजूरी की प्रक्रिया

इस योजना के अन्तर्गत एक निर्यातक को किए गए निर्यात के बोर्ड मूल्य पर मुफ्त की प्रतिशतता के रूप में शुल्क के भुगतान पर क्रेडिट अनुमत था। निर्यात उत्पाद के एफओबी मूल्य के संबंध में डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित सममूल्य दर पर निर्यात के समय क्रेडिट दिया गया था। ये दरें निर्यातकों द्वारा निर्यात उत्पाद पर सियोनज् में लागू सूचीबद्ध सामानों पर भुगतान किए गए मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की संगणना पर आधारित थी। डीईपीबी योजना की

महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि सियोन के तहत सूचीबद्ध सभी वस्तुओं को आयातित किया माना गया था और ये सीमाशुल्क के विषयगत थे। डीईपीबी योजना के तहत क्रेडिट किसी वस्तु के आयात पर अनुमत था केवल उन वस्तुओं को छोड़कर जिनके आयातों पर प्रतिबंध है।

1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इन तथ्यों से संबंधित आश्वासन लेने के दृष्टिकोण से योजनाअवधि के दौरान डीईपीबी योजना के लिए लेखापरीक्षा में मौजूदा प्रणाली की नमूना जांच की गई कि:

क. डीओसी, डीजीएफटी और सीमाशुल्क द्वारा योजना के प्रबंधन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता;

ख. योजना के प्रशासन में निहित अंतरविभागीय समन्वय-तंत्र और मॉनिटरिंग की प्रभावकारिता;

ग. शुल्क फिरती योजना के तहत शामिल किए जाने के बाद डीईपीबी मदों की दरों का विश्लेषण;

घ. डीईपीबी योजना के तहत निर्यात पर वैकल्पिक व्यापार करार (सीईसीए, सिंगापुर) का निहितार्थ;

ङ. डीईपीबी शेयरों के किसी गलत जारीकरण या उपयोग से बचने के मौजूदा प्रावधान का अनुपालन;

च. डीईपीबी दरों का निर्धारण;

छ. शेयर आवेदनों का समय पर निपटान

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना और मापदण्ड

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी के 36 आरएज़ में से 28 आरएज़[3], वाणिज्य विभाग के 8 सेज़ में से 7 डीसी-सेज[4] और 31 सीमाशुल्क पत्तनों (परिशिष्ट I) में चयनित नमूनों में डीईपीबी शेयरों की संवीक्षा की। इन 28 आरएज़ में, 2005-

[3] दिल्ली, भोपाल, रायपुर, मुंबई, पुणे, गोवा, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, पुदुच्चेरी, कोच्ची, तिरूवनन्तपुरम, कोलकाता, पानीपत, जम्मू, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, कटक, अहमदाबाद, बैग्लुरू, जयपुर, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, देहरादून

[4] इंदौर, मुंबई, चेन्नई, कोच्ची, फाल्टा, कांदला, नोएडा

06 से 2011-12 के दौरान ₹ 51,489 करोड़ राशि के 5,64,321 डीईपीबी शेयर जारी किए गए थे। 4,443 डीईपीबी शेयरों की संवीक्षा की गई थी। इसी प्रकार, सात सेज में ₹ 104.66 करोड़ राशि के 2,592 डीईपीबी शेयर जारी किए गए थे जिनमें से 508 मामलों को लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुना गया था। स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनों का प्रयोग करते हुए डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में जारी डीईपीबी शेयरों के भाग के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूने का चयन किया गया था जैसा कि नीचे सारिणीबद्ध है:-

तालिका: 1

क्र. सं.	डीईपीबी शेयरों का मूल्य	नमूना आकार
1.	₹ 1 करोड़ और अधिक	100 *प्रतिशत*
2.	₹ 50 लाख से ₹ 1 करोड़ तक	50 *प्रतिशत*
3.	₹ 10 लाख से ₹ 50 लाख तक	5 *प्रतिशत*
4.	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक	1 *प्रतिशत*
5.	₹ 5 लाख से नीचे	0.2 *प्रतिशत*

डीजीएफटी द्वारा अनुरक्षित डीईपीबी योजना से संबंधित अभिलेखों की भी संवीक्षा की गई।

निम्नलिखित संदर्भों के साथ अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई थी:

- डीओसी, डीजीएफटी और सीबीईसी का आरएफडी।
- नीतिगत योजना; डीओसी का परिणामी बजट; डीओआर का प्राप्ति बजट।
- एफटीपी 2009-14 ।
- प्रक्रिया पुस्तिका, भाग । और ।।
- सीईसीए, सिंगापुर करार।
- सार्वजनिक अधिसूचनाएं, परिपत्र और डीजीएफटी द्वारा जारी आदेश।
- सीबीईसी की सीमाशुल्क अधिसूचनाएं, परिपत्र इत्यादि।
- डीईपीबी योजना और सीईसीए, सिंगापुर पर रिपोर्टें।
- सी एवं एजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2000 और 2004-05 ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ में 12 अप्रैल 2013 को डीजीएफटी के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस की गई थी। जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और नमूने की व्याख्या की गई थी। इसके साथ-साथ महानिदेशक/प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा योजना के कार्यान्वयन में शामिल आरएज़ के साथ एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। 15 जनवरी, 2014 को एक्ज़िट कांफ्रेंस

आयोजित की गई थी। अंतिम टिप्पणी हेतु ड्रॉफ्ट पीए रिपोर्ट को दुबारा डीओसी (डीजीएफटी)/डीओआर (सीबीईसी) को भेजी गई थी।

1.6 वित्तीय प्रारूप और लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) के अनुसरण में सरकार ने प्राप्ति बजट, 2006-07 से केंद्रीय कर प्रणाली के तहत बड़े कर व्यय का अनुमान दर्शाना शुरू कर दिया। यद्यपि संघ सरकार के प्राप्ति बजट में केंद्रीय कर प्रणाली के तहत छोड़ दिये गए राजस्व का विवरण डीईपीबी योजना पर कर व्यय दर्शाता है, वाणिज्य विभाग की योजना के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं था। शुल्क क्रेडिट शेयरों के रूप में लाभ दिए गए थे जिसका वास्तविक आयात के समय आयात-शुल्क अदा करते हुए उपयोग किया जा सकता था। एफआरबीएम प्रकटन में योजना के परिणाम का कोई विवरण नहीं था जैसा कि वित्त आयोग द्वारा परिकल्पना की गई थी। वर्ष 2005-06 से 2011-12 के दौरान डीजीएफटी द्वारा ₹ 51,489 करोड़ मूल्य के डीईपीबी शेयर जारी किए गए थे (तालिका 2) और सात सेज द्वारा ₹ 104.66 करोड़ के शुल्क क्रेडिट डीईपीबी शेयर जारी किए गए थे।

डीजीएफटी वर्ष 2005-06 से 2011-12 के दौरान पूरे देश में डीसीज़ सेज द्वारा जारी डीईपीबी प्राधिकरण संख्या क्रेडिट का मूल्य, निर्यात का एफओबी मूल्य, और आरएज़ द्वारा आयातों हेतु अनुमत शुल्क उपलब्ध नहीं करा सका। तालिका 2 में आरएज़ और सेज द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना को सारबद्ध किया गया है।

तालिका: 2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जारी डीईपीबी प्राधिकरणों की संख्या (संख्याएं)	प्राधिकरणों की राशि (₹ करोड़ में)	निर्यात का एफओबी मूल्य (₹ करोड़ में)	छोड़ दिया गया राजस्व* (₹ करोड़ में)
2005-06	1,20,902	5,010	1,10,267	5,650.00
2006-07	1,04,752	4,618	1,20,495	4,842.00
2007-08	91,508	5,496	1,25,183	5,311.50
2008-09	1,10,856	7,729	1,67,410	7,087.49
2009-10	1,12,413	8,267	1,68,044	8,008.45
2010-11	11,750	9,204	1,97,664	8,736.40
2011-12	12,139	11,165	2,50,532	10,404.37
कुल	**5,64,321**	**51,489**	**11,40,495**	**50,040.21**

(स्रोत-डीजीएफटी)

*(*स्रोत-राजस्व विभाग)*

वित्त वर्ष 06 से वित्त वर्ष 10 के दौरान जारी वर्षवार डीईपीबी शेयरों के विश्लेषण से पता चला कि शेयर अधिकांशत: रसायन और संबद्ध उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पादों, कपड़ा उत्पादों और पैकिंग सामान के लिए जारी किए गए थे जैसा कि परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा किए गए 28 आरएज़ और 7 सेज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2005-06 से 2011-12 की अवधि के लिए अनुमत निर्यात के शुल्क क्रेडिट और एफओबी मूल्य, जारी डीईपीबी शेयरों की कुल संख्या परिशिष्ट III और IV में दी गई है। डीजीएफटी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित अखिल भारतीय आंकड़ों और व्यक्तिगत आरएज़ और डीसीज़ द्वारा दिए गए आंकड़ों में समरूपता नहीं है और स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आरएज़ द्वारा दी गई सूचना/रिपोर्टों पर नियंत्रण का अभाव था। एक्ज़िट कांफ्रेन्स के बाद दूसरी जांच के दौरान भी डीजीएफटी द्वारा इसका मिलान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी, डीओसी, डीओआर और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा पर भरोसा किया। वित्तीय वर्ष 12 के दौरान डीईपीबी योजना के तहत छोड़ा गया शुल्क (₹ 10,404 करोड़) सरकार की 17 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत छोड़े गए कुल शुल्क का लगभग 16 प्रतिशत था।

जारी किए गए डीईपीबी शेयरों की तुलना में उपयोग किए गए शेयर और उन पर छोड़े गए शुल्क का सार परिशिष्ट V में दिया गया है।

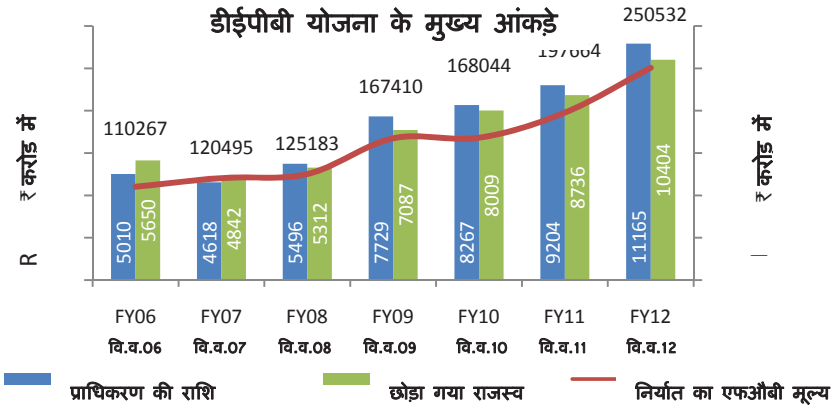

तालिका: 3

डीईपीबी क्रेडिट का औसत दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीईपीबी शुल्क क्रेडिट	निर्यात का एफओबी मूल्य	औसत दर
2005-06	5,010	1,10,267	4.54
2006-07	4,618	1,20,495	3.83
2007-08	5,496	1,25,183	4.39
2008-09	7,729	1,67,410	4.62
2009-10	8,267	1,68,044	4.89
2010-11	9,204	1,97,664	4.66
2011-12	11,165	2,50,532	4.46

स्रोत: डीजीएफटी

यद्यपि 2005-06 से 2011-12 की अवधि में सीमाशुल्क की उच्च दर में 50 प्रतिशत तक गिरावट आयी थी (20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत), तथापि 2005-12 के बीच सात वर्षों की अवधि में डीईपीबी क्रेडिट की औसत दर लगभग 4.48 प्रतिशत ही बनी रही।

2005-06 से 2012-13 के दौरान पीटीए-सीईसीए सिंगापुर के अधीन आयात का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:

तालिका: 4

2005-06 से 2012-13 के दौरान पीटीए-सीईसीए सिंगापुर के अधीन आयात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयातों का निर्धारणीय मूल्य	वृद्धि प्रतिशत	देय शुल्क	छोड़ा गया शुल्क	निर्यात मूल्य	वृद्धि प्रतिशत
2005-2006	743.04	-	119.79	101.54	24019.65	--
2006-2007	1,633.37	1.19	350.18	241.48	27461.61	4.80
2007-2008	2,020.26	0.23	389.85	293.74	29662.23	4.52
2008-2009	3,299.58	0.63	625.11	437.58	37756.88	4.49
2009-2010	3,274.58	-0.01	419.11	470.19	35948.30	-4.25
2010-2011	4,823.31	0.47	679.94	617.18	44731.73	3.91
2011-2012	5,191.11	0.07	701.95	783.42	80362.99	5.48
2012-2013	6,245.30	0.20	1,031.51	695.19	73994.97	**4.52**
योग	**27,230.54**	**0.40 (औसत)**	**4,317.45**	**3,640.32**	**3,53.938.40**	**3.35 (औसत)**

2009-10 से वैश्विक मंदी शुरू हुई। सितम्बर 2011 से डीईपीबी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए डाटा के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2005-06 से 2012-13 के लिए सीईसीए सिंगापुर के अधीन आयात पर करार पर हस्ताक्षर के पश्चात् 0.40

प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ ₹ 27,231 करोड़ के आयात के प्रति छोड़े गए शुल्क की कुल धनराशि ₹ 3,640 करोड़ थी। 4.7 प्रतिशत की अधिक उच्च दर से निर्यात में वृद्धि हुई।